रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2013/आषाढ़, 19 1935
No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2013/ASADHA 19, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2013

सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा चेन्नई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण संख्या टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास . . . . . **आवेदक**

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री सी.बी. सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2013 के 14वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान (एस ओ आर) की वैधता विस्तारित करने से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी के प्रचलित दरमान को पिछली बार अपने आदेश संख्या टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी दिनांक 10 नवबंर, 2010 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया था जिसे भारत के राजपत्र में राजपत्र सं. 08 के माध्यम से 11 जनवरी, 2011 को अधिसूचित करवाया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता को 31 मार्च 2013 तक प्रदान करता है ।

3. प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में अनुपालन किये जा रहे वर्तमान नजरिये/चलन के कुछ क्षेत्रों को स्पष्ट करने/परिष्कृत करने के लिये इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/23/2008-डब्ल्यूएस दिनांक 30 सितंबर, 2008 के अनुसार महापत्तन न्यास और निजी टर्मिनल प्रचालकों को अपने प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव उस वित्तीय वर्ष की 30 जून तक दाखिल करना होता है जिसे (वित्तीय वर्ष) में प्रशुल्क संशोधन अपेक्षित होता है, तदनुसार, सीएचपीटी को अपना प्रस्ताव 30 जून, 2012 तक दाखिल करना था ।

इस दृष्टि से, प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 7 मई, 2012 के द्वारा सीएचपीटी को सुझाव दिया था कि वह संशोधन प्रस्ताव अधिकतम 30 जून, 2012 तक दाखिल कर दें । प्राधिकरण ने सीएचपीटी के अनुरोध पर दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए तिथि 30 सितंबर, 2012 तक विस्तारित की थी । अपने सामान्य संशोधन के प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए, सीएचपीटी को दिनांक, 12 दिसंबर,

2012 और 31 दिसंबर, 2012 के पत्रों के द्वारा स्मरण कराया गया था । तदनन्तर, सीएचपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु, प्रस्ताव दिनांक 19 फरवरी, 2013 के पत्र और दरमान का प्रस्तावित मसौदा दिनांक 29 मई, 2013 के ई-मेल द्वारा दाखिल किया है ।

4. सीएचपीटी के पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 और 29 मई, 2013 के द्वारा दाखिल प्रस्ताव को संबंधित पत्तन उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं के संगठनों के परामर्श के लिए रखा गया है । इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विचार किये जाने हेतु, इस मामले को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा ।

5. सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2013 के द्वारा प्रचलित दरमान की वैधता को 1 अप्रैल, 2013 से आगे की अवधि के लिए विस्तारित करने के लिए अनुरोध किया है ।

6. चूंकि प्रचलित दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो चुकी है और मामले के अंतिम रूप प्रदान करने में लगने वाले समय को देखते हुए, यह प्राधिकरण चेन्नई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितंबर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान की प्रभावी कार्यान्वयन तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित प्रदान करता है ।

7. चूंकि निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल, 2013 से आगे की अवधि के लिए ग्राह्य लागत तथा अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक, यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष सामने आता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित कर लिया जाएगा ।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2013

No.TAMP/45/2008-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Chennai Port Trust as in the Order appended thereto.

Tariff Authorityfor Major Ports
Case No. TAMP/45/2008-CHPT

Chennai Port Trust - - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on 14th day of June, 2013)

This relates to extension of validity of the existing Scale of Rates (SOR) of Chennai Port Trust (CHPT).

2. The existing SOR of CHPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/45/2008-CHPT dated 10 November 2010 which was notified in the Gazette of India on 11 January, 2011 vide G.No.8. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013.

3. As per the Order No. TAMP/23/2003-WS dated 30 September, 2008 passed by this Authority for clarifying/ refining certain areas of the existing approach/practice followed in tariff setting exercise, the major port trusts and private terminal operators have to file their tariff revision proposal by 30 June of the financial year in which the tariff revision falls due. Accordingly, the CHPT had to file its proposal by 30 June, 2012.

In view of that the CHPT was advised vide our letter dated 7 May, 2012 to file its proposal by 30 June, 2012. At the request of the CHPT this Authority extended the date for filing of its proposal for general revision of the SOR till 30 September, 2012. The CHPT was reminded to file its proposal by letter dated 12 December, 2012 and 31 December, 2012. Subsequently, the CHPT filed its proposal for general revision of its SOR vide letter dated 19 February 2013 and draft proposed SOR vide email dated, 29 May 2013.

4. The proposal filed by the CHPT vide its letter dated 19 February, 2013 and 29 May, 2013 is taken on consultation with the concerned port users/user organisations. It may take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority.

5. The CHPT has, vide its letter dated 8 April, 2013 requested to extend the validity of the existing SOR from 1 April 2013 for further period.

6. Since the validity of the existing SOR expired on 31 March, 2013 and recognizing the time required for finalizing the case, this Authority extends the validity of the existing SOR of the CHPT till 30 September, 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.